उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-19/2016/एम०एस०-13/94-स्टा०नि०-2-2016-700(374)/15,

लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2016

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित इकाईयों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची-1ख के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं:

1. मेसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी लि०, शाहजहॉपुर।
2. मेसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी लि०, महोबा एवं ललितपुर।
3. मेसर्स बेन्नेट इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन, ग्रेटर नोएडा।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/2016/एम०एस०-13/94-स्टा०नि०-2-2016-700(374)/15, दिनांक 19 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 19-07-2016 के असाधरण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2016/एम०एस०-13/94-स्टा०नि०-2-2016-700(374)/15, दिनांक 19 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन (औद्योगिक विकास अनुभाग-6) को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-854/77-6-16(एम)/13टी०सी०(मेगा), दिनांक 30-06-2016 के क्रम में।
2. प्रमुख सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने अधिनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग बन्धु उत्तर प्रदेश।
10. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
11. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan

Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.-19/2016/ M.S.-13/94-S.R.-2-2016-700(374)/15, dated 19 July, 2016 for general information.

Notification

Order

No. 19/2016/M.S.-13/94/S.R.-2-2016-700(374)/15

Lucknow, Dated 19 July , 2016

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable on the instrument of conveyance under clause (a) of Article-23 and on the instruments of lease under Article-35 of Schedule 1-B executed in favour of the following units-

1. M/s Sukhbir Agro Energy Limited, Shahjahanpur.
2. M/s Sukhbir Agro Energy Limited, Mahoba and Lalitpur.
3. M/s Bennett Institute of Higher Education Greater Noida.

By order

(Anil Kumar)

pramukh sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।